

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 1979/माघ 14, 1900
No. 58] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 1979/MAGHA 14, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(बाघ विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1979

कां०आ० 65(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि 15 नवम्बर, 1978 को तमिल नाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में पट्टई बेतलाई में स्थित चीनी का विनिर्माण करने वाली कावेरी शुगर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड कावेरी फैक्टरी (जिसे हम आदेश में इसके पश्चात् उक्त चाना उपक्रम कहा गया है) 15 नवम्बर, 1978 तक चीनी का विनिर्माण प्रारम्भ करने में असफल रहा है;

और केंद्रीय सरकार ने उक्त चीनी उपक्रम के स्वामी को चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन 18 नवम्बर, 1978 को सूचना सं० चीनी 181/78-79 जारी की थी जिसमें उससे यह कहा गया था कि उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से मान दिन के भीतर उन परिस्थितियों को लिखित रूप में बताये, जिनके कारण उक्त चीनी उपक्रम 15 नवम्बर, 1978 को या उसके पूर्व चीनी का विनिर्माण प्रारम्भ करने में असफल रहा है;

घोर केन्द्रीय सरकार का, उक्त चीनी उपक्रम को घोर से मुख्य कार्यपालक द्वारा भेजा गई, तारीख 27 नवम्बर, 1978 की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 15 नवम्बर, 1978 तक चीनी का विनिमय प्रारम्भ करने में असफलता के लिये उल्लिखित परिस्थितियों से समाधान नहीं हुआ है;

अतः, अद्य केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) को धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबन्ध तारीख 7 फरवरी, 1979 को घोर इससे प्रारम्भ होने वाला तीन वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

[सं० एम०ए०जी०/181/78 78]

सी०एन० राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 3rd February, 1979

S. O. 65(E)—Whereas the Central Government being satisfied that as on the 15th day of November, 1978, the Cauvery Sugar and Chemicals Limited Cauvery Factory (hereinafter in this Order referred to as the said sugar undertaking) manufacturing sugar at Pettajivaytalai in the District of Tiruchirapalli in the State of Tamil Nadu has failed to commence manufacture of sugar by the 15th November, 1978;

And whereas the Central Government on the 18th day of November, 1978 issued Notice No. SUG/181/1978-79 under sub-section (1) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978) to the owner of the said sugar undertaking calling upon him to report in writing within seven days from the date of receipt of the said notice the circumstances under which the said sugar undertaking had failed to commence manufacture of sugar on or before the 15th day of November, 1978;

And whereas the Central Government having considered the report dated the 27th November, 1978 sent by the Chief Executive on behalf of the said sugar undertaking, is not satisfied with the circumstances for failure to commence manufacture of sugar by the 15th day of November, 1978;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Sugar Undertaking (Taking Over of Management) Act, 1978 (No. 49 of 1978), the Central Government hereby declares that the management of the said sugar undertaking shall vest in the Central Government for a period of three years commencing on and from the 7th day of February, 1979.

[No. SUG/181/1978-79]

C. N. RAGHAVAN, Joint Secy.